न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 247 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/263)
पंजीयन दिनांक– 23.07.2021
निर्णय दिनांक– 14.09.2021

1. श्री गफुर शाह पिता रहीम शाह मुसलमान शाह फकीर, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता चतरभुज जाट, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती कमला बाई पत्नि देवीलाल जाट, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 08 / 2014 (रे. प्रा. पत्र) निर्णय दिनांक 11.04.2017

निर्णय

दिनांक 14.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 08 / 2014 (रे.प्रा. पत्र) निर्णय दिनांक 11.04.2017 के विरूद्ध दिनांक 11.05.2017 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन चाहने के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक

17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 11.02.2021 को (प्रार्थना पत्र) अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 जाप्ता दीवानी अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत दर्ज किया गया। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2021 को दर्ज किया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.07.2021 को अपील दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को ग्राम लसडावन, तहसील निम्बाहेडा की बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 975/2 रकबा 14 बिस्वा आवंटन करने का आदेश दिया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त आराजी अपीलांट के आराजी नम्बर 1567 के पूर्व की ओर व आम रास्ते के मध्य स्थित है जिस पर कदीम (वर्षो से) अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन अवैध होकर विधि न्याय एवं सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2014 (रे.प्रा. पत्र) निर्णय दिनांक 11.04.2017 से अपीलांट का का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.04.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः–*"हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम तो अधिवक्ता प्रार्थी ने आराजी नम्बर 975/1 किस्म भटवेड प्रार्थी के आराजी नम्बर 1567 की पूर्व दिशा की आम रास्ते व स्वयं की आराजी के मध्य की होना बताया है किन्तु विपक्षीगण को आवंटन आराजी नम्बर 975/1 का*

नही होकर आराजी नम्बर 975/2 किस्म भटवेड रकबा 0.14 बीघा का हुआ है तथा प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया, यदि प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नही कर सकती है। विपक्षीगण द्वारा ग्राम लसड़ावन, तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 975/2 रकबा 0.14 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं बाद जांच भू आवंटन सलाहकार की राय पर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा ने उक्त भूमि (छोटी पट्टी) विपक्षीगण को आवंटित भूमि का उन्हैं कब्जा सिपुर्द किया गया तथा उक्त भूमि विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 03.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नही की है और

ना ही कोई विज्ञप्ति/उद्घोषणा ही सार्वजनिक रूप से जारी की गई है और ना ही भू आवंटन समिति के सभी सदस्यों को नियमानुसार सूचित किया गया और ना ही भू आवंटन हमारे गांव के जलसे आम में हुआ अपितु चूपके–चूपके रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को यह भू आवंटन कर दिया गया। आराजी नम्बर 975/1 किस्म भटवेड बताई गई है जो प्रार्थी के आराजी नम्बर 1567 के पूर्व की ओर आम रास्ते व प्रार्थी की आराजी के मध्य स्थित है जिस पर कदीम (वर्षो से) अपीलांट के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट के खाते में मात्र 0.80 आराजी जमीन है जिसमें अपीलांट का 3/5 हिस्सा यानि की 47 आरी जमीन ही अपीलांट के हिस्से में आती है और उक्त भूमि खसरा नम्बर 975/2 पर अपीलांट का कब्जा होने से यह अपीलांट के आवंटन होने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 पति–पत्नि है व आवंटन शुदा आराजी को रेकार्ड में दो भाग कर दोनों पति–पत्नि ने अपने नाम पर अलग–अलग खातेदारी में अंकित करा दिया है जबकि रेस्पोडेंटगण खातेदारी के पात्र ही नही हुऐ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट को भू आवंटन पूर्णतया विधि अनुसार संपूर्ण जांच के बाद हुआ है। भू आवंटन कमेटी के द्वारा विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी की जाकर आवंटन कमेटी ने सार्वजनिक तौर पर आवंटन आदेश रेस्पोडेंट के पक्ष में पारित किया गया जिसकी पालना में रेस्पोडेंट को कब्जा सिपुर्द किया गया है जिस पर रेस्पोडेंट आवंटन दिनांक से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। आराजी नम्बर 975/2 जिसका आवंटन हुआ है उक्त आराजी अपीलांट के आरजी नम्बर 1567 की पूर्व दिशा की ओर आम रास्ते व अपीलांट के आराजी के मध्य की होना पूर्णतया गलत है तथा आवंटित आराजीयात पर अपीलांट का कभी भी आवंटन के पूर्व व आवंटन बाद

कब्जा नहीं रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 11.04.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें वह रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन को विविध आधारों पर खारिज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के सभी उजरात पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया।

अपील में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को जिन आधारों पर अपील मेमों एवं लिखित बहस में चुनौती दी है वह यह है कि भूमि कृषि योग्य नही है। भूमि जिसका आवंटन किया गया है वह कृषि योग्य किस प्रकार नही है, यह अपीलांट द्वारा अवगत नही करवाया गया है। अपीलांट द्वारा अन्य आधार यह लिया गया है कि आवंटी रेस्पोडेंट भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नही आते। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित की जाने वाली एवं पुर्व धारित भूमि का योग नियम 12 के तहत 4 हैक्टेयर से अधिक नही होना चाहिए। इस प्रकरण में भूमि का आवंटन इन नियमों के नियम 19 के तहत छोटी पट्टी के रूप कीमतन किया गया है तथा नियम 19 (iii) के अनुसार ऐसे आवंटनों में भूमि धारण की पात्रता आवंटी के लिए लागु सीलिंग क्षेत्रफल तक अनुमत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार आवंटी के पास सीलिंग से अधिक भूमि आलौच्य आंवटन के पश्चात बनती हो, ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का अन्य कथन यह है कि विवादित भूमि अपीलांट की भूमि से लगती हुई है तथा उसका 50

वर्षो का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई नक्शा प्रस्तुत नही किया गया जिससे आवंटित भूमि का अपीलांट से सम्पार्श्वी होना प्रमाणित होता हो अथवा उसका किसी भी एक वर्ष में उसका इस भूमि पर कब्जा रहा हो, यदि होता तो अवश्य किसी एक वर्ष का तो अतिक्रमण का नोटिस वह अवश्य प्रस्तुत करता।

अपीलांट द्वारा अन्य उज्र यह लिया गया है कि आवंटन हेतु विधिक प्रक्रिया नही अपनाई गई यानि उद्घोषणा नही की गई एवं बैठक विधिवत आमंत्रित नही की गई। अपीलांट ने अपने भारसिद्ध इन तथ्यों को प्रताणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट द्वारा अन्य आधार यह लिया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत न्याय नजीरों पर विचार नही किया गया। अपीलांट द्वारा यह अवगत नहीं करवाया गया है कि उसने अधीनस्थ न्यायालय में क्या न्याय नजीरें प्रस्तुत की थी, नही इस न्यायालय में कोई न्याय नजीर प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के समस्त उजरात पर आख्यापक विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नही पाते, अतएंव अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर